भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 5415**
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

**वैश्विक बाजार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र**

**5415. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:**
**डॉ. के. सुधाकर:**
**श्री खगेन मुर्मु:**
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देश मे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित करने तथा राज्य की मुख्यत: कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

**(ख)** छत्तीसगढ़ सहित देश में खाद्य उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत उपस्थिति प्रदान करने के लिए ब्रांडिंग, विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है;

**(ग)** क्या भारतीय खाद्य उत्पादों को बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने तथा छत्तीसगढ़ सहित देश में राज्यों के कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई नए व्यापार समझौते किए जा रहे हैं अथवा निर्यात संवर्धन रणनीति विकसित की जा रही है; और

**(घ)** यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित वैश्विक व्यापार में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता करने वाली बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं, वित्तीय प्रोत्साहनों और अन्य सहायता तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) से (घ):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना", केंद्रीय क्षेत्र "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई)" और केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफ़एमई)" योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र विशेष नहीं हैं, बल्कि माँग आधारित हैं।

15 वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 8 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

समृद्ध सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है । इस योजना का उद्देश्य वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और औपचारिकता को बढ़ावा देना है। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इस योजना में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करना, सामान्य सुविधाओं का प्रावधान, इनक्यूबेशन सेंटर, प्रशिक्षण, विपणन और ब्रांडिंग की भी परिकल्पना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता के लिए कुल 896 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है ।

समृद्ध खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए पीएलआईएसएफ़पीआई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2021 को ₹10,900 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी थी, जिसे 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांडेड उपभोक्ता खाद्य उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है। अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में पीएलआईएसएफ़पीआई योजना के तहत 28 फरवरी, 2025 तक सहायता के लिए 1 खाद्य प्रसंस्करण कंपनी को मंजूरी दी गई है ।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हुए , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से, संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में संभावित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केन्द्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन आदि शामिल हैं, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकें, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि हो और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि हो।

इसके अलावा, वैश्विक बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 19 से 22 सितंबर 2024 के दौरान भारत मंडपम , नई दिल्ली में "वर्ल्ड फूड इंडिया" नामक एक मेगा इवेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को प्रदर्शित करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग के अवसर प्रदान करना था। यह कार्यक्रम वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, इनोवेटर्स, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर लाया और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ गठजोड़/व्यावसायिक अवसर प्रदान किए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के अवसरों और प्रगति को उजागर करने के लिए डब्ल्यूएफ़आई, 2025 का भी आयोजन कर रहा है। यह आयोजन वैश्विक निवेशकों, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान संस्थानों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने पर केंद्रित होगा। यह आयोजन बाजार पहुंच बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए बी2बी मैचमेकिंग के अवसर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और उद्योग गोलमेज सम्मेलन प्रदान करेगा। इन आयोजनों से व्यापार को बढ़ावा मिलने और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। इसके अलावा, भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है।

*****

**अनुबंध**

**दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "वैश्विक बाजार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5415 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**<u>प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>**

| **क्र. सं.** | **घटक योजना** | **सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)** | **दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)** |
|---|---|---|---|
| 1. | एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना | पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन] | पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन] |
| 2. | खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार | पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन] | पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन] |
| 3. | कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना | सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन] | पात्र परियोजना का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन] |
| 4. | ऑपरेशन ग्रीन्स | एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा एकल कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी। | एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा एकल कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी। |
| 5. | खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ | सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता<br><br>निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता। | निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से अनुदान सहायता। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास | सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान,निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% की दर से अनुदान। | सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान। |

**<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>**

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है , तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

**<u>पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण</u>**

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से का किराये के आधार पर उपयोग कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****